

प्रेस नोट

(गौहत्या के दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार)

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय खागा के कुशल निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी/ गोकशों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अंतर्गत दिनांक **08.08.2022** को समय **16.00** बजे गौहत्या के अपराधी 01. अंसार अहमद पुत्र स्व0 गफ्फार अहमद उम्र करीब 57 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर व 02. पप्पू पुत्र सूबेदार सैयद उम्र करीब 49 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को लिखा पढ़ी कर माननीय न्यायालय फतेहपुर में पेश कर, जेल भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

प्रभारी निरीक्षक श्री तारकेश्वर राय मय हमराहीगण व उ0नि0 श्री बृजेश कुमार सिंह मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटनास्थल तलवापर मजरे बहेरा सादात पहुँचकर समय 16.00 बजे अभियुक्तगण 01. अंसार अहमद पुत्र स्व0 गफ्फार अहमद उम्र करीब 57 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर व 02. पप्पू पुत्र सूबेदार सैयद उम्र करीब 49 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर के कब्जे से एक मिनी मोटर साइकिल (बिक्की) पर रंगेहाथ एक बोरी में एक-एक किलो के 40 पैकेट गौमांस कुल 40 किलोग्राम गोमांस बरामद किया गया तथा अभियुक्त सलमान पुत्र अंसार अहमद उम्र 33 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दिया जा रहा है।

अभियुक्तगण से बरामद माल:-

1. एक बोरी में एक-एक किलों के 40 पैकेट गौमांस कुल 40 किलोग्राम।
2. एक अदद मिनी मोटर साइकिल (बिक्की)।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. अंसार अहमद पुत्र स्व0 गफ्फार अहमद उम्र करीब 57 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर ।
2. पप्पू पुत्र सूबेदार सैयद उम्र करीब 49 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर।
3. सलमान पुत्र अंसार अहमद उम्र 33 वर्ष निवासी तलवापर मजरे बहेरा सादात थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर, मौके से फरार।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0111/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना सु0घोष, फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्र०नि० श्री तारकेश्वर राय, थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर।
2. उपनिरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
3. हे०का० संदीप कुमार तिवारी, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
4. कां० विवेक कुमार, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
5. कां० मोहित वर्मा, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
6. कां० संजीव कुमार, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
7. कां० कमलेश कुमार, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
8. कां० शैलेन्द्र गुर्जर, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।
9. महिला आरक्षी आराधना पाण्डेय, थाना सुल्तानपुर घोष, फतेहपुर।

